

प्रसार भारती / PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक) / (INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
दूरदर्शन महानिदेशालय / DG: DOORDARSHAN
कॉपरनिकस मार्ग / COPERNICUS MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI-110001

F.No. 904/51/2022-23/APIO/RTI/CAPIO/CPIO/FAA

Dated : 02.04.2026

कार्यालय आदेश / Office Order

विषय/Subject : डीडी-उर्दू और डीडी-किसान, सीपीसी, दूरदर्शन, दिल्ली के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के नामांकन हेतु।/ Declaration of CPIO for DD-Urdu, DD-Kisan & CPC, Doordarshan, Delhi.

महानिदेशालय: दूरदर्शन कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.05.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए, महानिदेशक दूरदर्शन के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत महानिदेशालय दूरदर्शन के सीपीसी दूरदर्शन, दिल्ली के लिए सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री अनुपम स्वरूप, उप-महानिदेशक (अभि.) को सीपीसी, डीडी-उर्दू और डीडी-किसान के लिए केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

In partial modification of DG:DD office Order even number dated 20.05.2024, the Director General, Doordarshan has accorded its approval to designate Shri Anupam Swaroop, Dy. Director General (Engg.) as Central Public Information Officer, under Section 5(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to DD-Urdu & DD-Kisan, CPC, Doordarshan, Delhi.

Digitally signed by
Ramesh Singh Chouhan
Date: 03-04-2026
13:08:08
(Ramesh Singh Chouhan)
Dy. Director (Admn.) & (RTI)

To,

1. श्री अनुपम स्वरूप, उप-महानिदेशक (अभि.) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, डीडी-उर्दू, डीडी-किसान और सीपीसी, दूरदर्शन, दिल्ली / Shri Anupam Swaroop, Dy. Director General (Engg.) & CPIO, DD-Urdu & DD-Kisan, CPC, Doordarshan, Delhi.

Copy to :-

श्री रविन्द्र देव, उप-महानिदेशक (अभि.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, प्रसार भारती सचिवालय को अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारी आदेश को आरटीआई वेबपेज और ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड किया जाए। / Shri Ravinder Dev, Dy. Director General (Engg.) & CPIO, Prasar Bharati Sectt. with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage and e-office notice board.